

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उओप्रओ शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उओप्रओ शासन।

आईओटीओ एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुओ-1

लखनऊ: दिनांक 06 अप्रैल, 2016

विषय:- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिक एवं स्टार्ट अप नीति-2016 के क्रियान्वयन के संबंध में महोदय,

उपर्युक्त संबंध में मझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय "सूचना प्रौद्योगिकी नीति उओप्रओ-2012" को पुनरीक्षित करते हुए "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिक एवं स्टार्ट अप नीति-2016" निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त नीति की प्रति संलग्न है।

2- कृपया संलग्न "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिक एवं स्टार्ट अप नीति-2016" में अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं के क्रियान्वयन के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से आईओटीओ एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-449(1)/78-1-2016 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उओप्रओ।
- 2- निदेशक, सूचना जनसम्पर्क विभाग, उओप्रओ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को/अपट्रान इण्डिया लिओ, लखनऊ/अपट्रान पावरट्रानिक्स लिओ/श्रीट्रान इण्डिया लिओ, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रख्यापित नीति को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उओप्रओ शासन।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माओ मुख्यमंत्री उओप्रओ शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 7- संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 8- उप महानिदेशक, एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- राज्य समन्वयक, सीईजी, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नीति को आईटीओ एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 10- गार्ड फाइल।

भवदीय,

(हरीराम)

अनु सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।